न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–27/2018
CIS NO. 167/2018

सुशील सिहं एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मजहर मियाँ एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
23.11.2022	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0–01 की तरफ से दिये गये आवेदन दिनांक 01.04.2022 अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (Order)** प्रतिवादी सं0–01 की ओर से दिनांक 01.04.2022 को आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहित के अंतर्गत आवेदन दिया गया जिसमें कहा गया कि वादी ने प्रस्तुत वाद अपनी स्वत्व अधिकार एवं दखल कब्जा पाने के लिए दायर किया है। वादी ने प्रतिवादी के बयनामा दस्तावेज दिनांक 03.11.2017 विनय प्रसाद साही बनाम मजहर मियाँ को अवैध तथा शुन्य घोषित करने के लिए दायर किया है जो सरासर झूठ तथा बनावटी है। प्रतिवादी सं0–01 का बयनामा बिल्कुल जायज एवं प्रभावकारी है एवं बयनामा के दिन से ही उस भूमि पर प्रतिवादी सं0–01 दखल कब्जा में चले आ रहे है। वाद में जो भूमि मद न0–01 में दी गयी है वह मौजा कंगली थाना न0–335 अंचल सिकटा में अवस्थित है। वादी के द्वारा विनय प्रताप साही को इस मुकदमा में पक्षकार नही बनाया गया है जो इस वाद में आवश्यक पक्षकार है। उनकी अनुपस्थिति में यह वाद चलने योग्य नही है इसके अलावे वादी ने विजय प्रताप साही को प्रतिवादी सं0–02 बनाया है जो इस वाद के दायर करने के पूर्व ही मर चुके है तथा विजय प्रताप साही का सहएराजी से कोई सरोकार नही है इसके अलावा वादी ने हरिकिशोर साही, हरिशंकर साही, एन एन साही तथा चंदु साही को प्रतिवादी सं0–04 ता 07 बनाया है जिनका कोई सरोकार इस एराजी से नही है। वादी ने दिनांक 04.12.1984 को अपनी पत्नि के नाम पर प्रतिवादी सं0–03 से बयनामा दस्तावेज हासिल किया है। लेकिन इस भूमि पर एक लम्हें के लिए भी कोई हकियत या	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–27/2018
CIS NO. 167/2018

लगातार 23.11.2022	दखल कब्जा हासिल नही हुआ है। यह बयनामा बिल्कुल नजायज एवं गैरकानूनी है। वादी के द्वारा यह वाद खुद अपने नाम से दायर किया है जबकि उपरोक्त वाद दायर करने का अधिकार वादी को नही है क्योंकि विवादित भूमि वादी की पत्नि के नाम पर खरीदा गया है। गिरगिट मिश्रा से प्रेमशीला देवी के नाम पर कोई दस्तावेज तहरीर एवं तामिल नही किया है। दिनांक 04.12.1984 को जो बयनामा दस्तावेज तहरीर हुआ है। वह बिल्कुल जाली फरेबी है। सहएराजी विनय प्रसाद साही की मौरूसी जायदाद थी जो आपसी बंटवारा में विनय प्रसाद साही के हिस्सा व दखल कब्जा में चला आ रहा था। विनय प्रसाद साही ने मुनासीब जरसमन लेकर दिनांक 03.11.2017 को आवेदक प्रतिवादी के पक्ष में बयनामा कर दिया और दखल कब्जा दे दिया। इस एराजी पर प्रतिवादी सं0–01 दखल कब्जें में चले आ रहे है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उपरोक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए वाद को विशेष खर्चा के साथ खारिज किया जाय। दिनांक 06.08.2022 को वादी की ओर से प्रतिवादी सं0–01 के आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। जिसमें प्रतिवादी सं0–01 के द्वारा दाखिल किया गया आवेदन कानून एवं तथ्य दोनों ही दृष्टिकोणों से परिपालनीय नही बताया गया। प्रतिवादी सं0–01 द्वारा जो बयान दिया गया है वह तथ्यों के आधार पर साबित किये जाने वाला बिन्दु है जो मुकदमें के सुनवाई के दौरान साक्षी सबूत के आधार पर साबित किया जा सकेगा तथा प्रतिवादी सं0–01 के द्वारा जो बयान किया गया है वह मूलतः पक्षकारों के असंयोजन तथा कुसंयोजन से जुडा हुआ है। यह प्रश्न भी सुनवाई के दौरान आये तथ्यों के आधार पर ही निर्णीत किया जा सकता है। वादी सं0–01 सुशील सिंह कर्ता व मैनेजर है और इसी हैसियत से सहवादी के रूप में पक्षकार है तथा उनकी पत्नि प्रेमशीला देवी वादी सं0–02 है। प्रतिवादी सं0–01 के द्वारा जानबूझकर वादीगणों के परेशान करने तथा मुकदमा को लंबा खींचने के लिए उक्त आवेदन दाखिल किया गया है जिसका कोई वैद्यानिक आधार नही है। अतः प्रतिवादी सं0–01 का आवेदन खर्चा	

लगातार 23.11.2022	सहित खारिज योग्य है। उभय पक्षों को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उक्त वाद वादीगणों द्वारा अपने स्वत्व एवं अधिकार को घोषित कराने एवं दखल कब्जें की सम्पूष्टि हेतु दाखिल किया है तथा साथ ही साथ प्रतिवादी सं0–01 के बयनामा दस्तावेज को अवैध व शुन्य घोषित कराने के लिए दाखिल किया है। अभी वाद प्रांरभिक अवस्था में है। आदेश 7 नियम 11 में वादपत्र को नामंजूर करने के लिए निश्चित शर्ते दी गयी है। जिनके अंतर्गत वादपत्र नामंजूर किया जाता है। प्रतिवादी सं0–01 के द्वारा अपने आवेदन में वादी की पत्नि के नाम से दिनांक 04.12.1984 को जो बयनामा दस्तावेज प्रतिवादी सं0–03 से हासिल किया गया है वह नजायज व गैरकानूनी बताया गया है। जबकि वादी के द्वारा प्रतिवादी सं0–01 के दस्तावेज को गैरकानूनी बताया गया है। किस पक्षकारा का दस्तावेज नजायज एवं गैरकानूनी है? यह साबित करने के लिए वाद में विचारण आवश्यक है तथा गुण–दोष के आधार पर ही न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जा सकता है कि वादी का दस्तावेज नजायज एवं गैरकानूनी है अथवा प्रतिवादी सं0–01 का दस्तावेज नजायज एवं गैरकानूनी है। अभी वाद उपस्थिति पर है। अभी विचारण प्रांरभ भी नही हुआ है। अतः वाद के इस स्तर पर दोनों दस्तावेजों में से किसी भी दस्तावेज को नजायज एवं गैरकानूनी नही कहा जा सकता है। दिनांक 14.01.2020 के न्यायालय के आदेश के द्वारा वादी सं0–01 की पत्नि प्रेमशीला देवी को वादी सं0–02 बनाया गया है। अतः अब यह नही कहा जा सकता है कि वादी को वाद लाने का कोई अधिकार नही है क्योंकि वादी की पत्नि प्रेमशीला देवी के नाम से ही दिनांक 04.12.1984 का दस्तावेज प्रतिवादी सं0–03 के द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार आदेश 7 नियम 11 के किसी भी कंडिका में उक्त वादपत्र आता हुआ प्रतीत नही हो रहा है। अत : प्रतिवादी सं0–01 का आवेदन खारिज किया जाता है। उक्त आदेश में किया गया विनिश्चयन वाद के अंतिम न्याय निर्णयन को प्रभावित नही करेगा। उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–27/2018
CIS NO. 167/2018

लगातार 23.11.2022	कि आगामी छः (06) माह में वाद का निष्पादन करने में न्यायालय का सहयोग करें। आगामी दिनांक 02.12.2022 वास्ते उपस्थिति हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	